दिल्ली विकास प्राधिकरण

बनाम

राजन सूद और ओआरएस।

(सिविल अपील सं. 2022 की 1927)

/

29 मार्च, 2022

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 -धारा 24 (2)-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 -धारा 48-उच्च न्यायालय ने पुणे नगर निगम मामले में निर्णय पर भरोसा करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया और घोषणा की कि 1894 के अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही को यू/एस के अधीन समाप्त माना जाता है।24(2) – अपील पर,

/

आयोजित:पुणे नगर निगम मामले में निर्णय लिया गया है

/

इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में संविधान पीठ के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया-इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए कहा कि प्रश्न भूमि का कब्जा मूल रिट याचिकाकर्ताओं के साथ जारी रहा और मुआवजे का न तो भुगतान किया गया था और न ही निविदा भी दी गई थी-हालांकि, प्राधिकरण की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि प्रश्न भूमि का कब्जा पहले ही 23.09.1986 पर ले लिया गया था और यहां तक कि मुआवजे की राशि भी रु। भूमि और भवन विभाग के पास 2 करोड़ रुपये जमा किए गए थे-इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही धाराओं की उप-धारा (2) के तहत समाप्त हो गई है।24 – इसके अलावा, जिस समय

अधिनियम, 2013 लागू हुआ, उस समय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका No.7714/2011 में दिनांक 09.11.2011 के आदेश के माध्यम से भूमि के संबंध में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई प्रश्न ने वाले प्राधिप्रश्न ण को रोकने के लिए रोक लगा दी गई थी-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में यह घोषणा की गई थी कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही धाराओं की उप-धारा (2) के तहत समाप्त हो गई है।24 2013 के अधिनियम की धारा अस्थिर है और इसे अलग रखा गया है।इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य।

/

/

/

(2020) 8 एससीसी **129:[2020] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1-**अनुसरण किया गया।

/

1060 ए.

1061

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम राजन सूद और ओआरएस।

पुणे नगर निगम और अन्र. वि.हरकचंद

मिसिरीमल सोलंकी और अन्य। (2014) 3 एससीसी 183:[2014] 1 एस. सी. आर. 783-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[2014] 1 एससीआर **783**

संदर्भित

पैरा **2**

/

[2020] 3 एससीआर **1**

पीछा किया।

पैरा **3.4**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील सं. 1927।

2015 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 1034 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.08.2016 के निर्णय और आदेश से।

/

सह

2022 की सिविल अपील सं. 1928

सुश्री पिंकी आनंद, वरिष्ठ अधिवक्ता, अंशय धतवालिया, सुश्री कुमुद निझावन, अश्विनी कुमार, सुश्री सौदामिनी शर्मा, सुश्री असीस जैस्मीन कौर, लव कुमार गुप्ता, अंगद संधू, सुश्री आस्था सक्सेना, सुश्री अमिता सिंह कल्कल, सुश्री आस्था त्यागी, सिद्धार्थ राज अग्रवाल, सुश्री रमनदीप कौर, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम. आर. शाह, जे.

1. नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका (सी) संख्या (आईडी2) में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया है और घोषणा की है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद अधिनियम, 1894 के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद अधिनियम, 2013 के रूप में संदर्भित) की धारा 24 की उप-धारा (2) के अंतर्गत समाप्त माना जाता है।

/

/

2. इसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2-मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक घोषणा के लिए रिट याचिका दायर की कि अधिनियम, 1894 के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई

/

/

अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के अंतर्गत विषय भूमि को व्यपगत माना जाता है।उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला था कि चूंकि प्रश्न भूमि का कब्जा उनके पास है और कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, इसलिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त माना जाता है।पुणे नगर निगम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई थी

/

निगम और एन**.** आर**.** बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी और अन्य**, (2014) 3** एस**.** सी**.** सी**. 183**।

2.1 याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों ने याचिका का विरोध किया था।डी. डी. ए. की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि इस तरह का मुआवजा शिव कुमार पुत्र देवी चंद को दिया गया था।पुणे नगर निगम (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया है और घोषणा की है कि अधिनियम, 1894 के अंतर्गत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के अंतर्गत व्यपगत मानी जाती है।

/

/

2.2 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, डी. डी. ए. और एन. सी. टी. दिल्ली सरकार ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

3. डी. डी. ए. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने यह घोषित करने में भौतिक रूप से गलती की है कि अधिग्रहण की कार्यवाही अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के अंतर्गत समाप्त हो गई है।

/

3.1 डी. डी. ए. की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद 23.09.1986 पर कब्जा पहले ही ले लिया गया था और यहां तक कि एक पंचनामा भी तैयार किया गया था, जो कब्जा लेते समय आवश्यकता थी।

/

3.2 यह आग्रह किया जाता है कि अभिलिखित मालिक-श्री शिव कुमार को भी अधिनियम, 1894 की धारा 12 (2) के अंतर्गत नोटिस के माध्यम से मुआवजा दिया गया था, लेकिन

अभिलिखित मालिक इसे स्वीकार करने के लिए कभी आगे नहीं आया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, मूल रिट याचिकाकर्ताओं को अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के अंतर्गत लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

/

3.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मुआवजे की राशि भी रु। डी. डी. ए. द्वारा भूमि और भवन ए. में 2 करोड़ रुपये जमा किए गए थे।

/

1063

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम राजन सूद और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

मुआवजे के लिए विभाग।इसलिए, मूल रिट याचिकाकर्ता मानित चूक के लाभ के हकदार नहीं हैं।

3.4 डी. डी. ए. और एन. सी. टी. दिल्ली सरकार की ओर से पेश विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं के पास रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि संपत्ति पर उनका अधिकार धोखाधड़ी से भरा हुआ है और जांच भ्रष्टाचार रोधी शाखा के पास लंबित है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि प्रश्न भूमि का कब्जा पहले से ही 23.09.1986 पर ले लिया गया था और यहां तक कि रु। बाद के निर्णय को देखते हुए भूमि और भवन विभाग के पास 2 करोड़ रुपये जमा किए गए।

/

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और

/

या (2020) 8 एस. सी. सी. 129, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के अंतर्गत समाप्त हो गई है। 3.5 अपीलार्थियों की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने पुणे नगर निगम (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।कि, उक्त निर्णय को बाद में इंदौर विकास के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है।

/

प्राधिकरण (ऊपर)।

3.6 वैकल्पिक रूप से, संबंधित अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह स्वीकार किए बिना कि प्रश्न भूमि का कब्जा मूल रिट

याचिकाकर्ताओं के पास है, उस मामले में भी, क्योंकि मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका में वर्ष 2011 में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन का आदेश दिया गया था और उच्च न्यायालय ने भूमि पर कोई दंडात्मक कार्रवाई/आदेश नहीं लेने का अंतरिम आदेश दिया था, इसलिए, इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए, उस अवधि को बाहर रखा जाना चाहिए जिसके अंतर्गत स्थगन लागू था।रिलायंस को मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैरा 366.8 पर रखा गया है।

/

/

इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर)।

3.7 उपरोक्त निवेदन करते हुए और उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

/

4. मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री पिंकी आनंद ने इन दोनों अपीलों का जोरदार विरोध किया।वर्तमान अपीलों का विरोध करने वाले मूल रिट याचिकाकर्ता-निजी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से जवाबी हलफनामे दायर किए गए हैं।

/

4.1 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री आनंद द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं कि मूल रिट याचिकाकर्ता भौतिक कब्जे में बने हुए हैं और इसलिए, न तो प्रश्न भूमि का वास्तविक कब्जा लिया गया था और न ही किसी मुआवजे का भुगतान किया गया था और न ही मूल रिट याचिकाकर्ताओं को दिया गया था।यह उचित माना गया है कि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई है।4.2 यह आग्रह किया जाता है कि वास्तव में उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका No.7714/2011 में 09.11.2011 पर पारित पहले के आदेश में, खंड पीठ ने प्राधिकरण को अधिनियम, 1894 की धारा 48 के अंतर्गत उनके आवेदन पर विचार करने और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।कि अधिनियम, 1894 की धारा 48 के अनुसार केवल उस मामले में जहां भूमि का कब्जा अधिग्रहण करने वाले प्राधिकारी द्वारा नहीं लिया जाता है, केवल तभी अधिनियम, 1894 की धारा 48 के अंतर्गत आवेदन बनाए रखने योग्य होगा।

इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब खंड पीठ ने प्राधिकरण को अधिनियम, 1894 की धारा 48 के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया, तो यह माना जाना चाहिए कि केवल मूल रिट याचिकाकर्ताओं का कब्जा बना हुआ है।यह तर्क दिया जाता है कि प्राधिकरण ने कागज पर एकतरफा कब्जा कर लिया होगा जैसा कि 23.09.1986 पर आरोप लगाया गया है, हालाँकि, मूल रिट याचिकाकर्ता वास्तव में कब्जे में रहे।मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट निष्कर्ष भी दर्ज किया गया है कि अधिकारी यह साबित करने में विफल रहे हैं कि मुआवजे की किसी भी राशि का भुगतान किया गया था और/या मूल रिट याचिकाकर्ताओं को दिया गया था या यहां तक कि खजाने में जमा किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब मूल रिट याचिकाकर्ता कब्जे में रहते हैं और न तो मुआवजा दिया गया था और न ही इसका भुगतान किया गया था, तो अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिग्रहण कार्यवाही को समाप्त घोषित करने की दो शर्तों को पूरा कर लिया गया है।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह घोषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि विषय भूमि के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के अंतर्गत समाप्त हो गई है।

/

/

/

/

/

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान वकील को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

/

6. आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है और घोषणा की है कि प्रश्न भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के अंतर्गत समाप्त हो गई है।ऐसा ठहराते और घोषित करते समय उच्च न्यायालय के पास ए है

/

1065

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम राजन सूद और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

पुणे नगर निगम **(**उपरोक्त**)** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।हालाँकि**,** इस न्यायालय के उक्त निर्णय को बाद में इंदौर विकास प्राधिकरण **(**उपरोक्त**)** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है।पैराग्राफ **365** से **366** में**,** यह न्यायालय

इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) के मामले में कहा गया है कि

और निम्नानुसार आयोजित किया गयाः- “365. परिणामस्वरूप, पुणे नगर निगम में दिया गया निर्णय

/

कॉर्प.[पुणे नगर निगम।बनाम हरकचंद मिसिरीमल

सोलंकी (2014) 3 एस. सी. सी. 183:(2014) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 274] को इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है और अन्य सभी निर्णय जिनमें पुणे नगर निगम शामिल है।

कॉर्प.[पुणे नगर निगम।बनाम हरकचंद मिसिरीमल

/

सोलंकी (2014) 3 एस. सी. सी. 183:(2014) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 274] का पालन किया गया है, इन्हें भी खारिज कर दिया गया है।श्री बालाजी नगर में निर्णय

आवासीय एसोसिएशन। [श्री बालाजी नगर आवासीय संघ बनाम राज्य

टी. एन., (2015) 3 एस. सी. सी. 353:(2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 298] को अच्छा विधि निर्धारित करने वाला नहीं कहा जा सकता है, इसे खारिज कर दिया जाता है और इसके बाद के अन्य निर्णयों को भी खारिज कर दिया जाता है।इंदौर विकास में

/

प्राधिकरण बनाम शैलेंद्र [इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम।

शैलेंद्र (2018) 3 एस. सी. सी. 412:(2018) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 426], धारा 24 (2) के परंतुक के संबंध में पहलू और क्या "या" को "न" या "के रूप में पढ़ा जाना है" और "को विचार के लिए नहीं रखा गया था।इसलिए, वर्तमान निर्णय में चर्चा के आलोक में वह निर्णय भी प्रबल नहीं हो सकता है।

/

366. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए**,** हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैंः

366.1.धारा 24 (1) (ए) के प्रावधानों के तहत यदि 2013 के अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के अनुसार पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो कार्यवाही अंतर्गत कोई चूक नहीं होती है। 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मुआवजे का निर्धारण किया जाना है।

/

366.2.यदि न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पुरस्कार पारित किया गया है, तो कार्यवाही 1894 अधिनियम के अंतर्गत 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुसार जारी रहेगी जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है।

/

366.3.कब्जा और मुआवजे के बीच धारा 24 (2) में उपयोग किए गए शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।धारा 24 (2) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का मानित व्यपगत होना

/

/

2013 अधिनियम वहां लागू होता है जहां उक्त अधिनियम के प्रारंभ से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है।दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, तो मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो कोई चूक नहीं है।इसी तरह, अगर मुआवजे का भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं है।

/

366.4.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के मुख्य भाग में "भुगतान" अभिव्यक्ति में न्यायालय में मुआवजे की जमा राशि शामिल नहीं है।जमा न करने का परिणाम धारा 24 (2) के परंतुक में प्रदान किया गया है, यदि इसे अधिकांश भूमि स्वामित्व के संबंध में जमा नहीं किया गया है, तो सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 1894 अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के अंतर्गत दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत ब्याज दिया जा सकता है।क्षतिपूर्ति (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही

समाप्त नहीं होती है।पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश जोतों के संबंध में जमा न करने के मामले में, 2013 के अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान 1894 के अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है। 366.5।यदि किसी व्यक्ति को 1894 के अधिनियम की धारा 31 (1) के अंतर्गत प्रदान किए गए मुआवजे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो उसके लिए यह दावा करना खुला नहीं है कि भुगतान न करने या न्यायालय में मुआवजे को जमा न करने के कारण धारा 24 (2) के अंतर्गत अधिग्रहण समाप्त हो गया है।भुगतान करने का दायित्व धारा 31 (1) के अंतर्गत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है।जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे यह दावा नहीं कर सकते कि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत समाप्त हो गई थी।

/

/

/

/

366.6.2013 के अधिनियम की धारा **24 (2)** के प्रावधान को धारा **24 (2)** के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए**,** न कि धारा **24 (1) (**बी**)** के हिस्से के रूप में।

/

366.7.1894 के अधिनियम के अंतर्गत कब्जा लेने का तरीका और जैसा कि धारा 24 (2) के अंतर्गत विचार किया गया है, जांच रिपोर्ट/ज्ञापन तैयार करना है।एक बार जब 1894 के अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत कब्जा लेने पर पुरस्कार पारित कर दिया जाता है, तो भूमि राज्य में निहित होती है

/

1067

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम राजन सूद और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत कोई विनिवेश प्रदान नहीं किया गया है, क्योंकि एक बार कब्जा ले लिए जाने के बाद धारा 24 (2) के अंतर्गत कोई चूक नहीं है।

366.8.धारा 24 (2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब अधिकारी 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा करने और मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे हों।न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के निर्वाह

की अवधि को पाँच साल की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।366.9.2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की समाप्त कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न उठाने के लिए कार्रवाई के नए कारण को जन्म नहीं देती है।धारा 24 2013 अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि पर लंबित कार्यवाही पर लागू होती है अर्थात 1-1-2014।यह पुराने और समय-बाधित दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है और न ही समाप्त कार्यवाही को फिर से खोलता है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अमान्य करने के लिए न्यायालय के बजाय राजकोष में कार्यवाही या मुआवजे के जमा करने के तरीके को फिर से खोलने के लिए कब्जा लेने के तरीके की वैधता पर प्रश्न उठाने की अनुमति देता है। "

/

/

/

7. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते हुए कहा है कि प्रश्न भूमि का कब्जा मूल रिट याचिकाकर्ताओं के साथ जारी रहा और न तो मुआवजे का भुगतान किया गया और न ही मूल रिट याचिकाकर्ताओं को दिया गया।हालाँकि, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं का कब्जा बना हुआ है, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में पारित पहले के आदेश पर भरोसा किया है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण को गुण-दोष के आधार पर अधिनियम, 1894 की धारा 48 के अंतर्गत उनके आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्राधिकरण की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि प्रश्न भूमि का कब्जा पहले से ही 23.09.1986 पर ले लिया गया था और यहां तक कि मुआवजे की राशि भी रु। भूमि और भवन विभाग में 2 करोड़ रुपये जमा किए गए।7.1 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि दो अलग-अलग अवसरों पर उच्च न्यायालय के समक्ष आयोजित कार्यवाही में अपीलार्थियों द्वारा कथित रूप से प्रतीकात्मक कब्जा लेने वाले एक कथित पत्र का खुलासा कभी नहीं किया गया था और यह पहली बार वर्तमान कार्यवाही में दायर किया गया है।उपरोक्त कथन सही नहीं है।पैराग्राफ 2 में दिए गए आक्षेपित आदेश में भी उच्च न्यायालय ने

/

/

/

/

अपीलार्थियों की ओर से इस आशय की प्रस्तुतियों को नोट किया कि कब्जा 23.09.1986 पर ले लिया गया था।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय के समक्ष इस तरह की याचिका पहली बार ली गई है।यह मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से मामला है, जो रिट याचिका No.7714/2011 में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 09.11.2011 द्वारा पारित पहले के आदेश पर भरोसा करता है कि, मूल रिट याचिकाकर्ताओं के कब्जे में बने हुए हैं और वास्तविक कब्जे को कभी नहीं लिया गया है।हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दिनांकित 09.11.2011 के आदेश में भी, उच्च न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दिया गया था कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं के पास प्रश्न भूमि का कब्जा है।इसके विपरीत, यह देखा गया है कि अधिनियम, 1894 की धारा 48 के अंतर्गत आवेदन पर विचार करने का अधिकार मूल रिट याचिकाकर्ताओं के पास होने की धारणा पर गुण-दोष पर है।इसलिए, दिनांक 1 का आदेश पारित करते समय भी, उच्च न्यायालय ने मान लिया कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं के कब्जे में हैं, इसलिए इस आशय का कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दिया गया कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं के कब्जे में हैं।

/

/

7.2 इसके बाद मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह संतुष्ट किया जाता है कि 23.09.1986 पर कथित कब्जा अवैध है और यह एक कागजी कब्जा था।हालाँकि, अपीलकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रश्न भूमि का कब्जा पंचनामा खींचकर ले लिया गया था, जिसे कब्जा लेते समय आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से दिए गए मुआवजे पर भी संदेह व्यक्त किया है।

/

/

7.3 जो भी हो सकता है।यह मानते हुए कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं को कब्जे में पाया गया है और मुआवजे की पेशकश नहीं की गई थी, उस मामले में भी जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका No.7714/2011 में 09.11.2011 पर पारित आदेश से देखा जा सकता है, प्राधिकरण को प्रश्न भूमि के संबंध में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। इसलिए, बाद के निर्णय को ध्यान में रखते हुए

/

इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले में यह न्यायालय (ऊपर -

पैराग्राफ 366.8), वह अवधि, जिसके दौरान अंतरिम आदेश लागू है/था, को पांच साल की अवधि की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।वर्तमान मामले में भी, मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क है कि अधिनियम, 1894 की धारा 48 के अंतर्गत आवेदन पर निर्णय होने तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश जारी रखने का निर्देश दिया गया था।यह इस न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से विशिष्ट मामला है और लिखित प्रस्तुतियों में भी कहा गया है कि आज तक अधिनियम, 1894 की धारा 48 के अंतर्गत आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

/

/

1069

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम राजन सूद और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

/

अर्थात् उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका No.7714/2011 में दिनांकित 09.11.2011 आदेश पारित करते समय दिया गया निर्देश/रोक अधिनियम, 2013 के लागू होने तक जारी रहा।

7.4 मामले के उस दृष्टिकोण से और इस निर्णय पर विचार करते हुए

इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) के न्यायालय में, यह नहीं हो सकता है

उन्होंने कहा कि अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को समाप्त माना जाता है।

/

8. इंदौर विकास प्राधिकरण **(**उपरोक्त**)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि को लागू करते हुए**,** विशेष रूप से**,** अनुच्छेद **366,** यह नहीं कहा जा सकता है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई है।

/

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए और केवल उपरोक्त आधार पर कि जब अधिनियम, 2013 लागू हुआ था, उस समय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में प्राधिप्रश्न ण को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई प्रश्न ने से रोकने के आदेश के माध्यम से एक रोक दी गई थी, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश यह घोषणा प्रश्न ते हुए कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के अंतर्गत समाप्त हो गई है, अस्थिर है।

/

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपीलों की अनुज्ञात जाती है।उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका (सी) No.1043/2015 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश में यह घोषणा की गई है कि प्रश्न भूमि के संबंध में अधिनियम, 1894 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अधिनियम, 2013 की धारा 24 की उप-धारा (2) के अंतर्गत समाप्त हो गई है, जिसे इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।तदनुसार, वर्तमान अपीलों को उपरोक्त सीमा तक अनुज्ञात जाती है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

/

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुज्ञात गई।

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)

/

/